समाचार.प्रकाषनार्थरू.

पेंषन हितग्राहियों का आज अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में होगा भौतिक सत्यापन

रतलाम 27 नवम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले षेश रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन एमण पेंषन मित्र पोर्टल पर किये जाने हेतु झोन कार्यालयों पर आज 28 नवम्बर रविवार से षिविर आयोजित किये गये है।

भौतिक सत्यापन हेतु झोन कार्यालयों पर आयोजित किये गये षिविरों के तहत 28 नवम्बर रविवार को झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में वार्ड क्रमांक 1 से 14 के हितग्राहीए 29 नवम्बर सोमवार को झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड में वार्ड क्रमांक 27 से 39 के हितग्राहीए 30 नवम्बर मंगलवार को झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान में वार्ड क्रमांक 15ए 16ए 17ए 18ए 22ए 23ए 45ए 46ए 47ए 48 व 49 के हितग्राही तथा 01 दिसम्बर बुधवार को झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस में वार्ड क्रमांक 19ए 20ए 21ए 24ए 25ए 26ए 40ए 41ए 42ए 43 व 44 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक किया जायेगा।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवष्यक दस्तावेज बीपीएल राषन कार्डए समग्र आईडीए बैंक खाते की पास बुकए निवासीए जन्मए आयुए चिकित्सकए निःषक्तताए आयकर दाता ना होए पति की मृत्यु का प्रमाण.पत्रए अंक सूचीए मतदाता सूचीए मतदाता परिचय.पत्रए महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सही कदम है

टीकाकरण महाअभियान के दौरान आयुक्त ने बताए वैक्सीनेशन के महत्व एस्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके रांगोली के माध्यम से समझाए गए

रतलाम 27 नवम्बर । कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें वैक्सीनेशन का महत्व बताया है। इस वक्त हमारे हर तरफ में भी कोराना टीकाकरण अभियान चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनए घातक और खतरनाक बीमारियों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के तहत शहर में विभिन्न स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि दुनिया भर में चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियान की वजह से आज चेचकए खसराए टेटनस जैसे अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारियाँ खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से आने वाले समय में स्थितियाँ और भी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए टीके लगवाने ही चाहिएए जिससे कि कई बीमारियों से बचाव के साथ उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके।

उन्होने कहां कि जिला व निगम प्रशासन सहित जिलेभर के लगभग सभी विभाग नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करने का आव्हान कर रहा है। हमारे लिए गौरव की बात होगी कि हमारा शहर व जिला कोरोना वैक्सीनेशन के मामले भी नम्बर.1 का दर्जा प्राप्त करे। कोरोना संक्रमण कई तरह के रुप बदल रहा है। ऐसे में जरुरी है कि हर कोई वैक्सीनेशन का लाभ लेकर खुद को अपने परिवार को सुरक्षित कर ले।

जिन्होने अब तक टीका नही लगवाया हैए वो नजदीकी केन्द्र पर टीकाकरण कराए और जिसने पहला डोज लगवाना लिया है वो दूसरे डोज का उपयोग समय रहते कर ले।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग.अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर.1 बना पाएगेए इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलकीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण्जायसवालए झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहानए पर्वत हाड़ेए विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

खुले में गंदगी करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 27 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 नवम्बर षविवार को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर मौर्य नमकीन सैलाना बस स्टैण्ड पर 250ए अषरफ अली अमृत सागरए राठौर जी सैलाना बस स्टैण्डए गोविन्द महू रोडए अजय यादव दो बत्तीए राजेषए विनोद षहीद चौकए दीपक धानमण्डी पर 100.100ए दीपक अमृत सागरए विनोद कुमार सैलाना बस स्टैण्डए षंकर धानमण्डी पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

पषु वाहन के 4 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 27 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वैक्सीनेषन कार्य के निरीक्षण के दौरान सैलाना रोड क्षेत्र में आवारा पषु विचरण करते पाये जाने व पषु वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा आवारा पषुओं को कहीं भी पकड़ते हुए नहीं पाये जाने पर नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह.भारतसिंहए मेहफुज.कालेखांए रामा व पूनमचन्द.रतन का एक दिवस का वेतन काटा गया।

27 नवम्बर को 74 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 27 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 27 नवम्बर षनिवार को 74 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

27 नवम्बर षनिवार को डम्पर से 21915ए टेªक्टर से 18060ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 17505 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16560 किलो इस तरह कुल 74040 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 27 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध्. तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 95 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 27 नवम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 27 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्ंवहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्27ण्11ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्